कार्यालयः जिला एवं सेशन न्यायालय सवाई माधोपुर

क्रमांक : लेखा/2025/105 दिनांक : 9/7/2025

इलेक्ट्रॉनिक्स आईट्म्स हेतु सीमित निविदा सूचना

विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.(1) न्याय/2025 दिनांक 03.06.2025 तथा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के पृष्ठांकन क्रमांक iii/(1)बी/बजट/New Court/2025–26/58/1764–78 दिनांक 09.06.2025 तथा नवीन पत्रानुसार क्रमांकः iii/(1) बी/बजट/New Court/2025–26/71/2224–41 दिनांक 02.07.2025 के द्वारा इस कार्यालय के अधीन वित्तिय वर्ष 2025–26 के नवसृजित न्यायालय विशेष न्यायालय (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 व बालक अधिकारी संरक्षण आयोग अधिनियम 2005) सं. 02, सवाई माधोपुर का सृजन किये जाने पर न्यायायल के उपयोग हेतु (1) नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स फोटोकॉपी मशीन हेतु **0.75 लाख** (2) 02 ए.सी. हेतु **01 लाख** रुपये अनुमानित लागत के क्रय किये जाने है, इस हेतु रजिस्टर्ड निर्माता, थोक विक्रेताओं, अधिकृत डीलर से अलग–अलग मुहरबंद निविदायें दिनांक 18/7/25 को 12:00 बजे तक प्राप्त की जाकर उसी दिन अपरान्ह 3:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष समिति द्वारा खोली जावेगी। किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार समिति को होगा। निविदा प्रपत्र 200/–रू का डीडी या ऑनलाईन चालान जमा कराकर प्राप्त/एसपीपीपी पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा की सम्पूर्ण विवरण एवं शर्तें वेबसाइट http://ecourt.gov.in/Sawaimadhopur एवं राजस्थान सरकार के पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर तथा इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखी जा सकती हैं।

अध्यक्ष
क्रय समिति एवं
न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. कोर्ट
सवाई माधोपुर

क्रमांकः– लेखा/106-108 दिनांकः– 9/7/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर।
2. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन नियमानुसार समाचार पत्र में डीपीआर दर पर न्यूनतम स्पेस में कराकर बिल भुगतान इस कार्यालय में प्रेषित करवाने का श्रम करें।
3. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, सवाई माधोपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना एसपीपीपी पोर्टल (http://sppp.rajasthan.gov.in) पर तथा http://ecourt.gov.in/Sawaimadhopur पर अपलोड करने का श्रम करावें।
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा, कलेक्ट्रेट सवाई माधोपुर पर चस्पा हेतु।

अध्यक्ष
क्रय समिति एवं
न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. कोर्ट
सवाई माधोपुर

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायालय सवाई माधोपुर

निविदा प्रपत्र (तकनीकी)

निविदा/बोली सूचना संख्या...../2025–2026

निविदा शुल्क 200/–

1. नाम एवं पता निविदाकार फर्म/संस्थान :

2. फोन नम्बर/मोबाईल नम्बर :
3. निविदा का नाम : नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स आईट्म्स ए.सी. और फोटोकॉपी मशीन हेतु
4. निविदा की अनुमानित लागत : 1,75,000/–
5. बयाना राशि (2%) जमा रशीद/डी.डी संख्या :
6. आयकर पैन नम्बर :(प्रति संलग्न करें)
7. जीएसटी नम्बर :(प्रति संलग्न करें)
8. निविदा शुल्क जमा का विवरण : डीडी नं0/रसीद संख्या

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता द्वारा घोषणा

मै/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/हमने जिन मालों/सामानो/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके मै/हम वास्तविक व्यापार कर्ता/अधिकृत थोक विक्रेता एवं उत्पादनकर्ता हूँ/है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

Ramesh

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/हमने जिन मालों/सामानो/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके मै/हम वास्तविक व्यापार कर्ता/अधिकृत थोक विक्रेता एवं उत्पादनकर्ता हूँ/है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा। साथ ही यह भी घोषणा की जाती है कि हमारी फर्म को किसी भी कार्यालय द्वारा ब्लैक लिस्टेड़ नहीं किया गया।

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय सील

(नोटेरी से प्रमाणित करवाया जाए)

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायालय,सवाई माधोपुर

निविदा की शर्तें

नोट :– निविदादाता को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढना चाहिए तथा निविदा भेजते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए। इन शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदा प्रस्तावक के हस्ताक्षर होना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जावेगा। इस निविदा के क्रम में किए जाने वाले क्रय पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारर्दिशता नियम 2013 के प्रावधान प्रभावी होगें। सामग्री की आपूर्ति के संबंध में दर प्रस्तुत करते समय राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 46 के अनुसार दर प्रस्तुत करते समय सामग्री का तकनीकी विवरण लिखा जावें जिसके आधार पर दर व किस्म में तुलना की जा सकें।

1. आदेशित सामग्री की मात्रा में कमी अथवा वृद्वि के सम्बंध मे समस्त अधिकार क्रय समिति, जिला न्यायालय, सवाई माधोपुर के पास सुरक्षित होगे।
2. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों में जीएसटी एवं अन्य समस्त कर एवं समस्त प्रकार के प्रभार सम्मिलित होंगे तथा सामग्री जिले में संचालित सम्बन्धित न्यायालयों में आपूर्ति करनी होगी जिसका अलग से कोई चार्ज देय नहीं होगा।
3. निविदा प्रपत्र स्याही से या टंकन से भरा जाएगा। **पेंसिल से भरी हुई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।**
4. दरें नियत स्थान पर अंको एवं शब्दों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई काट–छांट एवं उपरी लेखन नही होना चाहिए, यदि कोई शुद्वियां करनी आवश्यक हो तो वे स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
5. निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत दरों में अंको एवं शब्दों में वर्णित दरों में अन्तर नही होना चाहिए। अंतर होने की स्थिति में जो भी दर कम होगी उस पर विचार किया जाएगा।
6. आपूर्तिकर्ता अपनी संविदा को किसी अन्य एजेंसी के लिए नहीं सौपेगा या उपभाडे (सब–लैट) पर नही देगा।
7. **निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ क्रय की जाने सामग्री के फोटोग्राफ एवं क्वालिटी का विवरण प्रस्तुत करना होगा, एवं क्रय समिति के चाहने पर संबंधित सामग्री का सेम्पल भी क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।**
8. आपूर्ति के पश्चात् कोई गुणवता सम्बंधी विपरीत स्थिति पाई जाती है तो समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता फर्म की होगी तथा सामग्री कीएक वर्ष की गारण्टी होगी।
9. सफल निविदादाता द्वारा सप्लाई की गई सामग्री का विभाग किसी भी समय सामग्री की निविदा के स्पेसीफिकेशन अनुसार सरकारी प्रयोगशाला से जांच कराने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि सामग्री निविदा के स्पेसीफिकेशन अनुसार पाई गई तो जांच के परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे अन्यथा उक्त प्रभार निविदादाता को वहन करने होगें।
10. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुए निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं पाई जाएगी, **उन्हे रद्द कर दिया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा ऐसी वस्तुओं/सामग्री को क्रेता अधिकारी द्वारा नियत समय (1 माह) के भीतर अपनी स्वंय की लागत पर बदलना होगा।**
11. निविदादाता उचित पैकिंग/फिक्सिंग करने के लिए उतरदायी होगा। किसी प्रकार की हानि, क्षति, कमी होने के मामले में निविदादाता उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पाई गई हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उतरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नही की जाएगी।
12. आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री की आपूर्ति कार्यादेश देने की दिनांक से 15 दिन की अवधि के अन्दर की जाएगी।
13. यदि क्रेताधिकारी किन्ही निविदत्त वस्तुओं की खरीद नही करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा में कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षति पूर्ति का क्लेम करने के अधिकृत नही होगा।
14. वसूलियां :– परिनिर्धारित नुकसानी, कम प्रदाय, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिलो में रोकी जाएगी। कम सप्लाई, रद्द किये गये माल की मात्रा की राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ वसूली उसकी देय राशि क्लेम्स एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी।
15. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नही है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाए, किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओ के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सबके लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को

स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक से अधिक सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

16. यदि संविदा के निर्वचन आशय का संविदा की शर्तो के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह प्रकरण विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा एवं इसमें अंतिम निर्णय विभागाध्यक्ष का ही होगा, जो कि निविदादाता को मान्य होगा।
17. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार सरकार को निविदादाताओ द्वारा सवाई माधोपुर न्यायिक क्षेत्र में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी।
18. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम और राजस्थान लोक उपापन अधिनियम–2012 एवं पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधान यथास्थान लागू होंगे।

- मै/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/हमने उपर्युक्त समस्त शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ एवं समझ लिया है जो हमें स्वीकार्य है, जिसकी सहमति के रूप में निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम.....
मोबाईल न.....

Umesh

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर

इलेक्ट्रॉनिक्स आईट्म्स आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा पपत्र

निविदादाता का नाम.....

क्र. सं.	आपूर्ति आईटम	CONFIGURATION	अनु. मात्रा	प्रति आईटम सभी करो सहित एफ.ओ.आर.दर
1	वातानुकूलित संयंत्र	Split AC 1.5 ton with stablizer with copper condenser coil, 3/5 star ratting with installation	2	रू..... शब्दों में.....
2	फोटो स्टेट मशीन	Multifunction Photocopier with multitray, wifi dual side print and ADF, speed 40 ppm or more memory 1GB	1	रू..... शब्दों में.....

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम.....
मोबाईल न.....